

प्रेमक,

श्री ज्योति बांगुली,
संस्कृत सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
ब्लॉक नं. 2 संजय के.ए.ए.
प्रो. विहार नई दिल्ली ।

विषय 171 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 20 सितम्बर, 1997

विषय:- शासनेन स्कूल भेरी रोड मुजफ्फरनगर को सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कथने का निदेश हुआ है कि शासनेन स्कूल भेरी रोड मुजफ्फरनगर को सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतापट्टी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 तैयारी द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्विसेज इन्कॉर्पोरेट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 तैयारी के लिए एवं विशेषकर कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण तैयारियों के कर्मचारियों को अनुमन्त्र वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अनापत्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तंत्रथा उनका पालन अयेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/परिभाषाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तंत्रथा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

111 विद्यालय हेतु निजी भूमि/भवन की व्यवस्था एक वर्ष के भीतर करके शासन को अभिलेखों सहित प्रस्तुत कराया जायेगा ।

121 निजी स्थापित्व के भवन में शिक्षण व विज्ञान व्या मानक के अनुसंग बनाये जायेंगे ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तंत्रथा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तंत्रथा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की सूक्ष्म या सिमितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

राज्यीय मांगणी
संयुक्त सचिव ।
शिक्षा

पुंनं 3841111/15-7-1997 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित हैं, इस दल प्रतिभात र... स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, भेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ।
- 4- निरीक्षक, जॉन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, शिक्षण स्कुल भेरठ रोड मुजफ्फरनगर ।

अमरेंद्र

आज्ञा है,

[Signature]

राज्यीय मांगणी
संयुक्त सचिव ।

[Signature]